रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2652] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2017/भाद्र 22, 1939
No. 2652] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2017/BHADRA 22, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2017

का.आ. 3029(अ).—प्रारूप अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन को अधिसूचित करने के लिए एक अधिसूचना, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1150 (अ), तारीख 17 मार्च, 2016, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट थी, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 17 मार्च, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया;

और, केंद्रीय सरकार के विचार से पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है और 21° 39′ 36.53″ से 21° 27′ 13.53″ उत्तर अक्षांश के बीच और 79° 09′ 01.78″ से 79° 13′ 09.13″ पूर्व देशांतर के बीच स्थित है और 442.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, उद्यान और अभयारण्य दो राज्यों के जंक्शन, अर्थात्-महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, में सतपुड़ा और अम्बागढ़ की पहाड़ियों के दक्षिणी सीमा पर स्थित है;

और, उद्यान पेंच बाघ आरक्षिती के कोर और संकटपूर्ण बाघ पर्यावास को महाराष्ट्र सरकार ने संख्या डब्ल्यू एल पी. 10-07/सी.आर. 297/एफ-1, तारीख 27 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना के अधीन अधिसूचित किया गया है;

और, उद्यान और अभयारण्य में स्तनधारियों के 33 प्रजातियां, पक्षियों की 170 प्रजातियां, मछलियों की 33 प्रजातियां, उभयचरों की 7 प्रजातियां, सरीसृपों की 49 प्रजातियां और कीड़े-मकोड़ें की विविधता का वास है । पक्षियों में आवासी और प्रवासी पक्षियों की दोनों प्रजातियां सम्मिलित हैं जैसे छोटा कोरमोरेन्ट (*फ़ैलाक्रोकोरैक्स नाइजर*), ब्राह्मिनी चील (*हेलीएसचर इनडस*), भारतीय व्हाइटबैक्ड गिद्ध (*जिप्स बेंघालेनसिस*), भारतीय पित्त (*पित्त ब्राचयुरन*), ग्रे मछली गरूड़ (*इचयोफगा इथाययटस*), ओपन बिल्ड सारस (*अमासटोमस ओसिटन*) आदि हैं । क्षेत्र में महत्वपूर्ण वन्यजीव भी हैं जैसे

बाघ (*पैंथरा टिगरिस*), तेंदुआ (*पैंथरा पारडस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*), नीलगाय (*बोसेलाफस ट्रागोकैमेलस*), सांभर (*करवस यूनिकलर*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), मुंजक (*मैंटियाकस मुंतजक*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा*), रीछ (*मेलूरसस यूसिनस*), सामान्य लंगूर (*प्रिसबाइटिस इन्टेलुस*), जंगली कुत्ता (*कैनिस अल्पिनस*), सियार (*कैनिस ओरेअस*) आदि का संभरण है;

और, क्षेत्र में बहुत उच्च वनस्पति विविधता है और इस क्षेत्र की वनस्पति में दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का प्रतिनिधित्व है । इस क्षेत्र की वनस्पति में टीक (*टेक्टोना ग्रान्डिस*) सर्वाधिक रूप से अपने सामान्य संबंध में पाये जाने वाली प्रजातियों जैसे आईन (*टेरमिनालिया टोमेन्टोसा*), बेहेदा (*टेरमिनालिया बेलेरिका*), जरुल (*लगेरस्ट्रोमा परवीफ्लोरा*), धवादा (*अनोगेईसस् लटिफोलिया*), सागौन आदि है;

और, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 0.12 से 9.5 किलोमीटर की सीमा तक के क्षेत्र को पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 419.40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के साथ अन्तर्राज्यीय सीमा को साझां करने वाले भाग के सिवाय महाराष्ट्र राज्य के पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.12 से 9.5 के बिच है और मध्य प्रदेश राज्य से संलग्न सीमा की ओर शून्य विस्तार का उल्लेख है और उक्त जोन की सीमा वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 63 ग्रामों में फैला हुआ है ।

(3) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है ।

(4) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक **उपाबंध IIIक और उपाबंध IIIख** के रूप में संलग्न है ।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ मुख्य बिन्दुओं के निर्देशांक **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और उक्त महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता तथा पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका और पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जा सके ।

(9) ऐसी अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के कार्यो को मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) **भू-उपयोग.—**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का प्रयोग या संपरिवर्तन वाणिज्यिक नहीं किया जाएगा। औद्योगिक या रिहायशी प्रक्षेत्र या क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि या अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात अनुज्ञात किया जा सकेगा जैसे:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसमें ग्रह वास भी है; और

(v) सारणी के पैरा 4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित की जाएगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.—सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट जो ऐसे क्षेत्रों के निकट हानिकारक हैं, विकास क्रियाकलाप ऐसी रीति में प्रतिषिद्ध करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन.—**(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना, राज्य पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

(i) पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल और रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास के भीतर विरासत संरक्षण तैयार की जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण निवारण और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(iii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**.-जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) यानीय प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में यानीय प्रदूषण निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि, किए जाएंगे ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(15) **इलेक्ट्रोनिक–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग, फरवरी 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अनुज्ञात होंगे।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा :-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगा जहां कोई संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर कोई संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलाप .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए एवं विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना

		और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण कारित (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि,) करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) कोई नई या पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। (ख) प्रदूषण कारित नहीं करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप, लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम पर रखे जाएंगे और विनियमित होंगे।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और ठोस तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भष्मीकरण की सुविधा।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नया ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापनअस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के किसी भी प्रकार के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से परे है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) महाराष्ट्र राज्य में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 250 मीटर के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: परन्तु इस क्षेत्र का सिर्फ 5 प्रतिशत भाग संनिर्माण किया जा सकेगा । परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके

		अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण अनुज्ञात होगा । (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग, फरवरी 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अनुज्ञात होंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे यह आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदुषण नियत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगो के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, उद्यान कृषि, पुष्प कृषि या देशीय सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करने वाले कृषि आधारित उद्योग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन में या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एन टी एफ टी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना तथा अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	अवसंरचनात्मक जिसके अंतर्गत नागरिक सुख सुविधाओं बुनियादी ढांचे भी हैं।	न्यूनीकरण की उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार किया जाएगा।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण की उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार किया जाएगा।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	प्राकृतिक जल निकायों भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्रावों का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्रावों के निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश से बचाया जाएगा जल उपचारित अपशिष्ट जल के पुनचक्रण और पुन: उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रयास लागू विधियों के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
21.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और सम्बद्ध सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप मानीटरी किए जाएंगे।
23.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग का प्रयोग तथापि विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अनुज्ञात होगा और यह लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

27.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकिलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाए।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	निम्नकोटिकृत भूमि/वनों/वास का पुनरुद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	सामुदायिक प्रकृति संरक्षण।	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्यजीव प्रभाग, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारत के वन्यजीव संस्थान के साथ परामर्श में परिचालनात्मक रूपरेखा को अंतिम रूप देने के बाद पायलट परियोजना के रूप में अनुज्ञात होगा ।

5. मानीटरी समिति .- केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) कलेक्टर, नागपुर – अध्यक्ष;

(ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य;

(ग) क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य;

(घ) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार – सदस्य;

(ङ) राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य;

(च) सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(छ) लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य;

(ज) मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय निदेशक, पेंच व्याघ्र परियोजना, नागपुर का प्रतिनिधि – सदस्य;

(झ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ – सदस्य;

(ञ) उप वन संरक्षक (टी), नागपुर प्रभाग –सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन.- (1) मानीटरी समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना की सारणी के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के सारणी के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर :- मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अंतर-राज्य सीमा (नागपुर प्रभाग सीमा) (कूप सं. की बाहरी सीमा 706, 705, 703, 1217 (घाटकुकडा), 694, 691, 690, 689, 1227 (घाटपेंधरी), 677, 676, 675, 674, 537, 530, 528, 527, 524, 523, 522, 521, 519, 518, 517, 511, 510, 509, 500, 1274, (गारा, खुरसापर की ग्राम सीमा) 480।

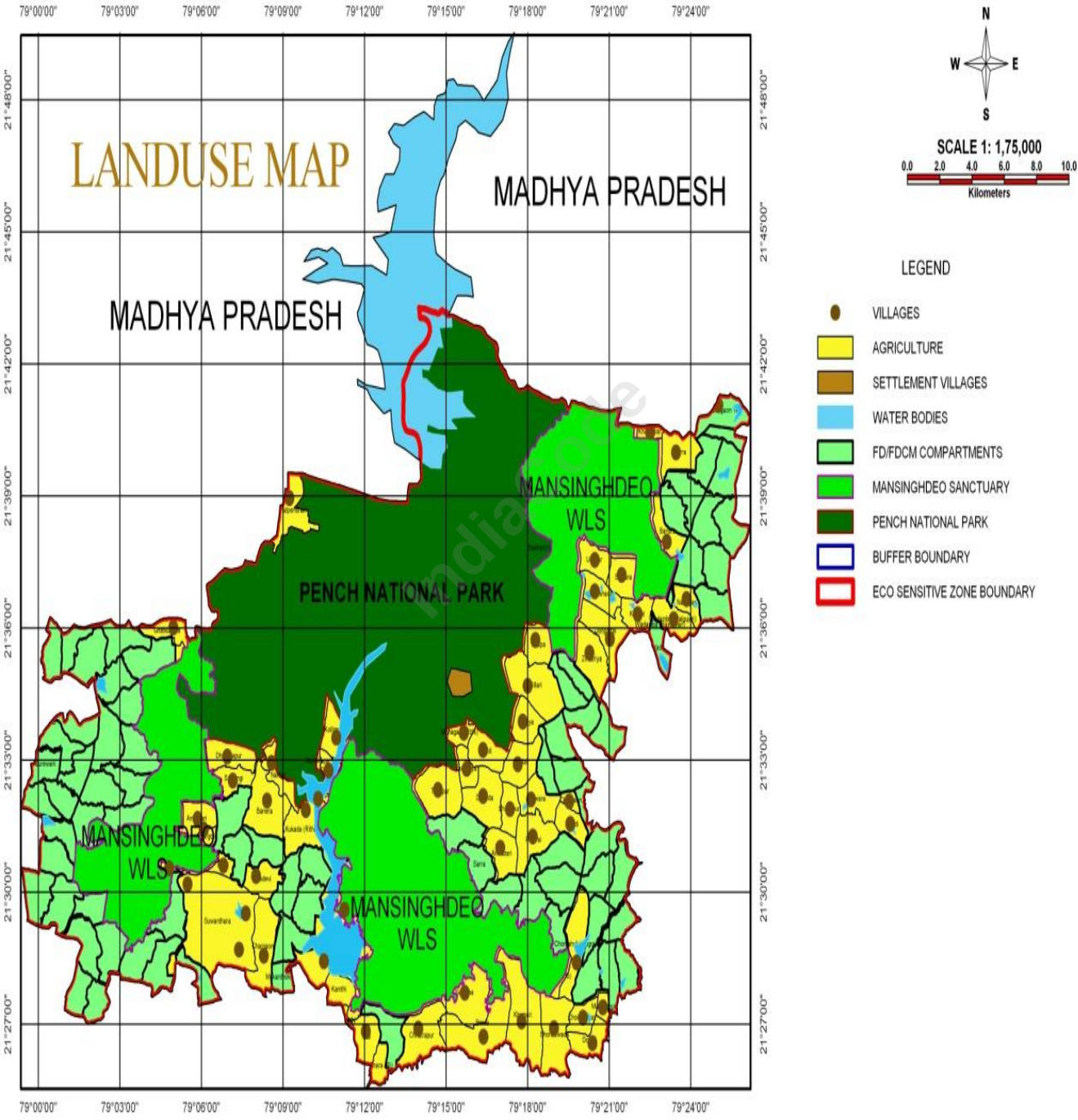
पूर्व:- कूप सं. 479, 482, 483, 488, 489, 1277 (वादाम्बा), 1264, (कमथी), 1266, 582 , 583, 584, 586, 587, 420, 418 की बाहरी सीमा।

दक्षिण:- कूप सं. 410, 411, 1271 (भोंदावाडा, दोंगरी, खुमारी, बोरदा की ग्राम सीमा), 1248 (छतरपुर), 613, 1242, 1236, 1237 (भिवगाद), 616, 1220(सुवारधारा), 1223, 627, 628, 629, 632, 635, 633, 634 की बाहरी सीमा।

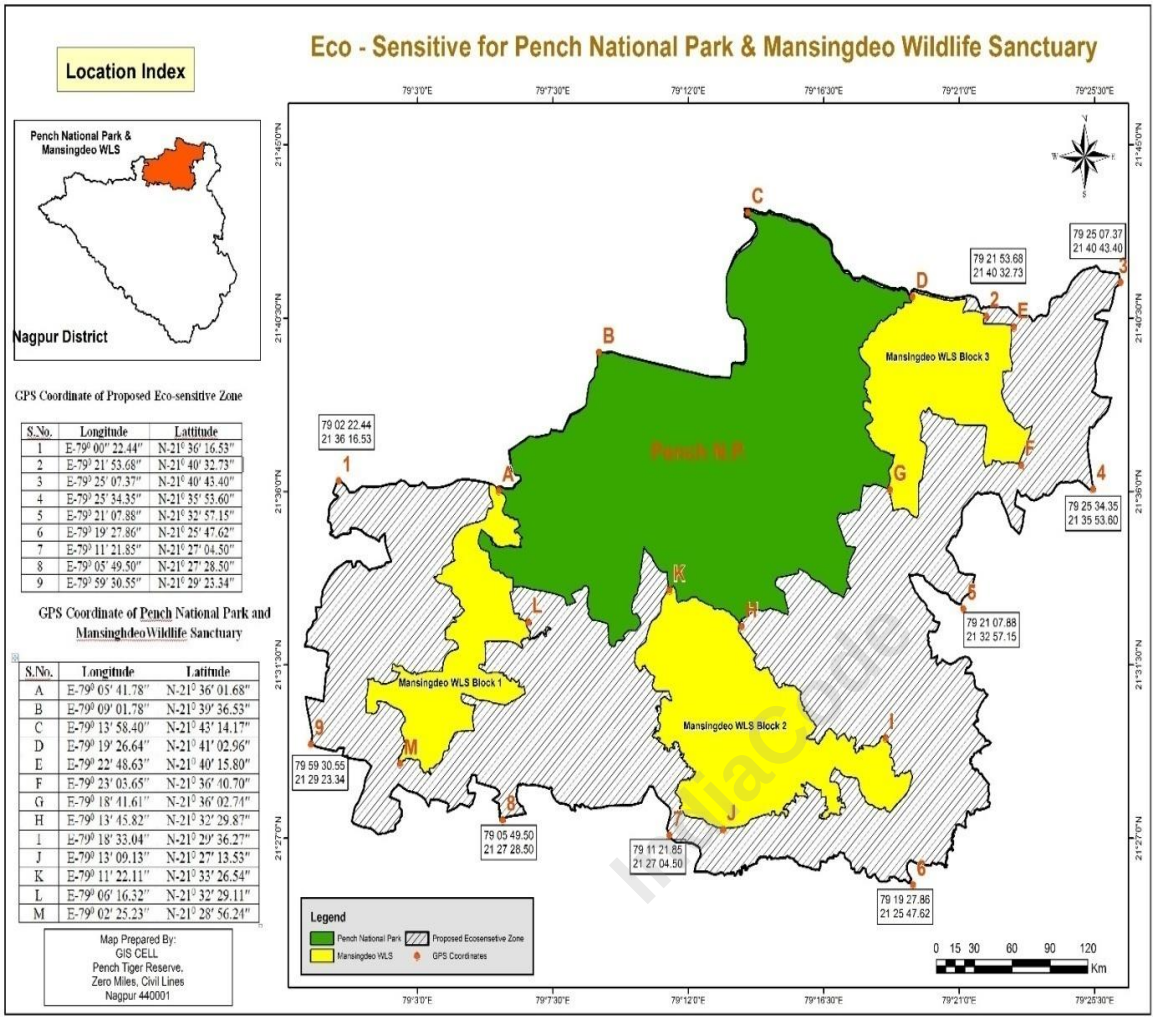
पश्चिम:- आरक्षित वनों की बाहरी सीमा कूप सं. 634, 635, 637, 638, 639, 648, 650, 651, 652, 653, 700, 702, 704, 705 एवं 706।

उपाबंध II

क. पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



ख. पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III-क

पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मनसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य के भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
ए	उ-21° 36′ 01.68″	पू-79° 05′ 41.78″
बी	उ-21° 39′ 36.53″	पू -79° 09′ 01.78″
सी	उ-21° 43′ 14.17″	पू -79° 13′ 58.40″
डी	उ-21° 41′ 02.96″	पू -79° 19′ 26.64″
ई	उ-21° 40′ 15.80″	पू -79° 22′ 48.63″
एफ	उ-21° 36′ 40.70″	पू -79° 23′ 03.65″
जी	उ-21° 36′ 02.74″	पू -79° 18′ 41.61″
एच	उ-21° 32′ 29.87″	पू -79° 13′ 45.82″
आई	उ-21° 29′ 36.27″	पू -79° 18′ 33.04″
जे	उ-21° 27′ 13.53″	पू -79° 13′ 09.13″
के	उ-21° 33′ 26.54″	पू -79° 11′ 22.11″
एल	उ-21° 32′ 29.11″	पू -79° 06′ 16.32″
एम	उ-21° 28′ 56.24″	पू -79° 02′ 25.23″

उपाबंध III-ख

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	उ -21° 36′ 16.53″	पू -79° 00″ 22.44″
2	उ -21° 29′ 23.34″	पू -79° 59′ 30.55″
3	उ -21° 27′ 28.50″	पू -79° 05′ 49.50″
4	उ -21° 27′ 04.50″	पू -79° 11′ 21.85″
5	उ -21° 25′ 47.62″	पू -79° 19′ 27.86″
6	उ -21° 32′ 57.15″	पू -79° 21′ 07.88″
7	उ -21° 35′ 53.60″	पू -79° 25′ 34.35″
8	उ -21° 40′ 43.40″	पू -79° 25′ 07.37″
9	उ -21° 40′ 32.73″	पू -79° 21′ 53.68″

उपाबंध IV

अक्षांश और देशांतर के साथ ग्रामों की सूची

IndiaCode

क्र. सं.	तहसील	ग्राम के नाम	ग्राम या रिठी	अक्षांश	देशांतर
1	रामटेक	उसरीपर	ग्राम	उ-21°37′ 32.762″	पू-79° 20′ 27.590″
2		खुरसापर	ग्राम	उ-21°40′ 26.902″	पू-79°22′ 29.674″
3		बनदरा	ग्राम	उ-21°37′ 57.453″	पू-79°23′ 06.301″
4		मानेगांव	ग्राम	उ-21° 41′ 03.397″	पू-79° 25′ 00.047″
5		गर्रा	ग्राम	उ-21° 39′ 59.110″	पू-79° 23′ 26.630″
6		कबडीखेड़ा	ग्राम	उ-21° 36′ 49.975″	पू-79° 20′ 27.490″
7		सवारा	ग्राम	उ-21° 37′ 12.353″	पू-79° 21′ 26.863″
8		कमथी	ग्राम	उ-21° 36′ 18.083″	पू-79° 22′ 00.623″
9		दोनगारतल	ग्राम	उ-21° 35′ 44.933″	पू-79° 21′ 00.890″
10		ज़िनज़रिया	ग्राम	उ-21° 35′ 26.327″	पू-79° 20′ 15.771″
11		खापा	ग्राम	उ-21° 35′ 43.672″	पू-79° 18′ 16.513″
12		सिल्लारी	ग्राम	उ-21° 34′ 41.265″	पू-79° 17′ 59.439″
13		पिपरिया	ग्राम	उ-21° 33′ 52.476″	पू-79° 17′ 48.496″
14		सलाई	ग्राम	उ-21° 32′ 54.494″	पू-79° 17′ 37.536″
15		चारगांव (परदेसी)	ग्राम	उ-21° 32′ 03.889″	पू-79° 19′ 31.262″
16		हिवारा (जंगली)	ग्राम	उ-21° 32′ 06.583″	पू-79° 18′ 06.913″
17		मौदी	ग्राम	उ-21° 31′ 32.506″	पू-79° 19′ 34.241″
18		नवेगांव	ग्राम	उ-21° 36′ 39.384″	पू-79° 23′ 49.819″
19		वदामबा	ग्राम	उ-21° 36′ 10.613″	पू-79° 23′ 20.253″

20	रामटेक	मोहगांव	रिठी	उ-21° 33′ 37.479″	पू-79° 15′ 38.692″
21		घोटी	ग्राम	उ-21° 33′ 13.968″	पू-79° 16′ 21.002″
22		साहपुर	ग्राम	उ-21° 31′ 52.088″	पू-79° 17′ 19.456″
23		दहोदा	ग्राम	उ-21° 32′ 11.203″	पू-79° 16′ 21.224″
24		तयापार	ग्राम	उ-21° 32′ 19.598″	पू-79° 14′ 41.638″
25		जमुनिया	ग्राम	उ-21° 32′ 49.616″	पू-79° 15′ 41.656″
26		पथराई	ग्राम	उ-21° 31′ 16.182″	पू-79° 18′ 10.874″
27		अमबाज़ारी	ग्राम	उ-21° 31′ 00.778″	पू-79° 16′ 59.031″
28		सररा	रिठी	उ-21° 39′ 59.902″	पू-79° 23′ 29.247”
29		चोरबहुली (वन)	ग्राम	उ-21° 27′ 55.516″	पू-79° 18′ 48.803″
30		चोरबहुली (मोगरा)	रिठी	उ-21° 27′ 23.537″	पू-79° 20′ 45.360″
31		भोदेवाड़ा	ग्राम	उ-21° 26′ 55.015″	पू-79° 18′ 57.503″
32		चोरखुमारी	ग्राम	उ-21° 27′ 08.44″	पू-79° 19′ 58.031″
33		दोंगरी	ग्राम	उ-21° 26′ 34.699″	पू-79° 20′ 22.333″
34		सरखा	ग्राम	उ-21° 27′ 44.398″	पू-79° 15′ 41.449″
35		बोरदा	ग्राम	उ-21° 26′ 43.479″	पू-79° 16′ 21.968″
36		खुमारी	ग्राम	उ-21° 27′ 04.252″	पू-79° 17′ 45.975″
37		छतरपुर	ग्राम	उ-21° 26′ 54.472″	पू-79° 13′ 58.433″
38		पल्लई	ग्राम	उ-21° 26′ 50.806″	पू-79° 12′ 02.769″
39	परसेओनी	किरानगिसररा	ग्राम	उ-21° 32′ 55.645″	पू-79° 11′ 38.008″
40		बोरबान	रिठी	उ-21° 28′ 19.261″	पू-79° 14′ 04.344″
41		देओली	रिठी	उ-21° 28′ 52.047″	पू-79° 11′ 53.986″
42		बजरकुण्ड	रिठी	उ-21° 29′ 15.773″	पू-79° 11′ 08.485″
43		कोलीतमरा	ग्राम	उ-21° 33′ 30.881″	पू-79° 10′ 57.453″
44		कुकडा (पेंच)	ग्राम	उ-21° 31′ 52.112″	पू-79° 09′ 50.266″
45		महेकपार	ग्राम	उ-21° 32′ 8.503″	पू-79° 10′ 18.516″
46		सुरेरा	ग्राम	उ-21° 32′ 44.174″	पू-79° 10′ 39.161″
47		बनेरा	ग्राम	उ-21° 32′ 05.040″	पू-79° 08′ 24.822″
48	परसेओनी	नरहर	ग्राम	उ-21° 32′ 56.429″	पू-79° 08′ 34.792″
49		धवलपुर	ग्राम	उ-21° 33′ 05.071″	पू-79° 06′ 57.122″
50		सवानगी	ग्राम	उ-21° 32′ 32.225″	पू-79° 07′ 09.305″
51		घटकुकडा	ग्राम	उ-21° 36′ 00.751″	पू-79° 04′ 58.177″
52		अमबजारी	ग्राम	उ-21° 31′ 40.165″	पू-79° 05′ 49.149″
53		पथर	रिठी	उ-21° 30′ 33.094″	पू-79° 04′ 48.837″
54		परदी	ग्राम	उ-21° 30′ 35.881″	पू-79° 06′ 47.086″

IndiaCode

55		गरगोटी	ग्राम	उ-21° 31′ 22.996″	पू-79° 06′ 05.19″
56		सलेघाट	ग्राम	उ-21° 31′ 15.548″	पू-79° 02′ 34.164″
57		सुवरधारा	ग्राम	उ-21° 28′ 42.089″	पू-79° 07′ 23.040″
58		सीलादेवी	ग्राम	उ-21° 30′ 22.259″	पू-79° 08′ 00.614″
59		चारगांव	ग्राम	उ-21° 28′ 33.742″	पू-79° 08′ 17.755″
60		मकरधोकडा	ग्राम	उ-21° 30′ 11.294″	पू-79° 05′ 29.551″
61		भिवगढ	सब मरगे	उ-21° 28′ 26.481″	पू-79° 10′ 28.171″
62		धटपेंदरी	ग्राम	उ-21° 38′ 56.891″	पू-79° 09′ 14.091″
63	सौनेर	सुरावाडी	ग्राम	उ-21° 29′ 31.226″	पू-79° 07′ 39.384″

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश A ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

[फा. सं. 25/205/2015-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September , 2017

S.O. 3029(E).—WHEREAS, a draft notification, for notifying Eco-sensitive Zone around Pench National Park and the Mansinghdeo Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1150 (E), dated the 17 March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 17 March, 2016;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Central Government considers the Pench National Park and the Mansinghdeo Wildlife Sanctuary (hereinafter referred to as the Park and Sanctuary) are located in Nagpur District in the State of Maharashtra between North 21° 39′ 36.53″ to 21° 27′ 13.53″ latitude and between East 79° 09′ 01.78″ to 79° 13′ 09.13″ longitude and are spread over an area of 442.29 square kilometres;

AND WHEREAS, the Park and Sanctuary are located on the junction of the two States, *viz.*, Maharashtra and Madhya Pradesh on the southern fringes of Satpuda hills and Ambagarh hills;

AND WHEREAS, the aforesaid Park comprises the core or critical tiger habitat of Pench Tiger Reserve as notified vide notification of the State Government of Maharashtra number WLP. 10-07/C.R.297/ F-1, dated the 27th December, 2007;

AND WHEREAS, the Park and Sanctuary is home to 33 species of mammals, 170 species of birds, 33 species of fish, 7 species of amphibians, 49 species of reptiles, and a wide variety of insect life and the birds include both resident and migratory birds like Little cormorant (*Phalacrocorax niger*), Brahminy kite*(Haliasture indus*), Indian white backed vulture*(Gyps benghalensis)*, Indian pitta *(Pitta brachyuran)*, Grey-headed fishing eagle *(Ichyophaga iethyaetus)*, Openbilled stork *(Amastomus oscitan)*, etc, and the area also supports important wildlife such as Tiger *(Panthera tigris)*, Leopard *(Panthera pardus)*, Jungle Cat *(Felis chaus)*, Nilgai *(Boselaphus tragocamelus)*, Sambhar *(Cervus unicolor)*, Chital *(Axis axis)*, Barking Deer *(Mantiacus muntjak)*, Wild Pig *(Sus scrofa)*, Sloth Bear *(Melursus ursinus)*, Common Langur *(Presbytis entellus)*, Wild dog *(Canis alpinus)*, Jackal *(Canis aureus)*, *etc.*;

AND WHEREAS, the aforesaid area has very high floral diversity and the flora of this area is represented by Southern Tropical Dry Deciduous Forests and the vegetation of the area has Teak (*Tectona grandis)* as predominant species with common associates such as Ain (*Terminalia tomentosa)*, Beheda (*Terminalia bellerica)*, Jarul (*Lagerstroema parviflora)*, Dhawada (*Anogeisus latifolia)*, etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the Park and Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries, or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.12 to 9.5 kilometres from the boundary of Pench National Park and Mansinghdeo Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Pench National Park and Mansinghdeo Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco- sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 419.40 square kilometres with an extent varying from 0.12 to 9.5 kilometres from the boundary of the Pench National Park and Mansinghdeo Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra except the portion sharing the inter-State boundary with Madhya Pradesh and Zero extent is mentioned towards the boundary adjoining the State of Madhya Pradesh and the boundary description of the said Zone is given in **Annexure-I.**

(2) The Eco sensitive Zone is spread across 63 villages in Nagpur district of Maharashtra.

(3) The map of the Eco sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure-II.**

(4) The Geo-coordinates of protected area as well as the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure-III-A** and **Annexure-III-B.**

(5) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of the prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities :

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for activity such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in the Table to paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Pench National Park and Mansinghdeo Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Pench National Park and Mansinghdeo Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

IndiaCode

(6) **Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio-medical waste management shall be as under:-

(i) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time;

(ii) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco- sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the applicable laws and effort shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(14**) Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) **E-waste-** The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) **Industrial units.-** (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in the this notification.

(17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. **Prohibited, regulated and promoted activities.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of industries causing pollution (water,air, soil, noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in the this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio-medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste shall be permitted within Eco-sensitive Zone and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be prohibited.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

		Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 250 meters from the boundary of the Pench National Park and Mansingdeo Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra: Provided that only 5% of the area can be constructed: Provided further that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and lying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water and the discharge of treated waste water or effluents shall be regulated as per applicable laws.
21.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
22.	Open well, bore wells, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned appropriate authority.

23.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags within the Eco-sensitive Zone shall be permitted based on specific requirement, and it shall be regulated under applicable laws.
27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
28.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
39.	Community Nature Conservancy.	Shall be permitted as pilot project after finalising the operational modalities in consultation with Ministry of Environment Forest & Climate Change, Wildlife division, National Tiger Conservation Authority and Wildlife Institute of India.

indiaCode

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely;

(a) Collector, Nagpur - Chairman;

(b) a representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three year in each case – Member;

(c) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board – Member;

(d) Senior Town Planner of the area - Member;

(e) a representative of the Department of Revenue, Government of Maharashtra – Member;

(f) a representative of the Department of Irrigation, Government of Maharashtra – Member;

(g) a representative of the Public Works Department, Government of Maharashtra – Member;

(h) a representative of Chief Conservator of Forests and Field Director, Pench Tiger Project, Nagpur – Member;

(i) one expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three year in each case - Member;

(j) Deputy Conservator of Forests (T), Nagpur Division –Member Secretary.

6. Terms of reference.- (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State Government under intimation the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the the High Court or National Green Tribunal.

Annexure I

Boundary description of the Eco-sensitive Zone

North: Inter-State boundary of Madhya Pradesh and Maharashtra (Nagpur division boundary) (Outer boundary of Compartment No. 706, 705, 703, 1217 (Ghatkukada), 694, 691, 690, 689, 1227 (Ghatpendhri), 677, 676, 675, 674, 537, 530, 528, 527, 524, 523, 522, 521, 519, 518, 517, 511, 510, 509, 500, 1274, (Village boundary of Garra, Khursapar) 480.

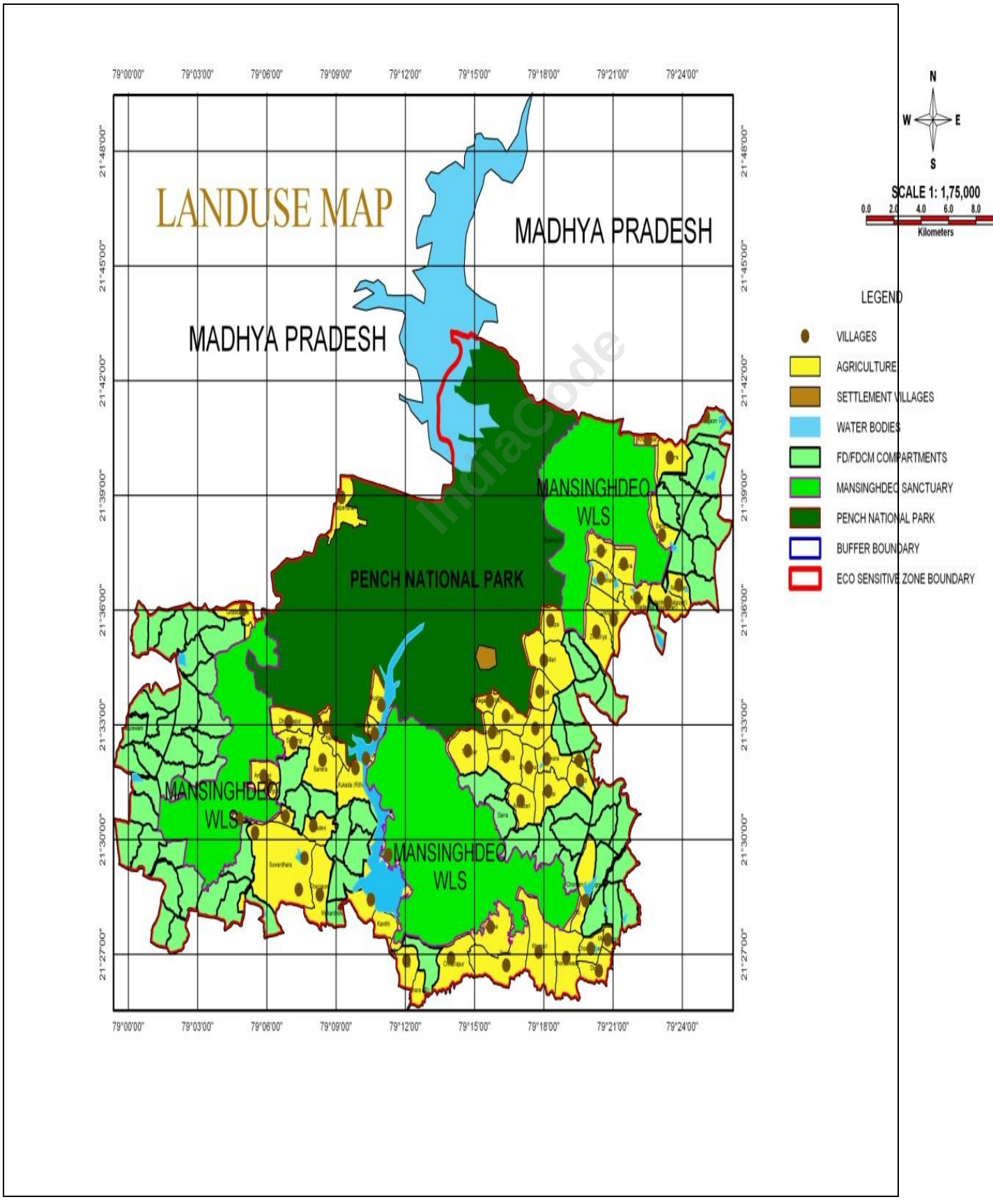
East: Outer boundary of Compartment No. 479, 482, 483, 488, 489, 1277 (Wadamba), 1264, (Kamthi), 1266, 582, 583, 584, 586, 587, 420, 418.

South: Outer boundary of Compartment No. 410, 411, 1271 (Village boundary of Bhondewada, Dongri, Khumari, Borda), 1248 (Chhatrapur), 613, 1242, 1236, 1237 (Bhivgad), 616, 1220 (Suvardhara), 1223, 627, 628, 629, 632, 635, 633, 634.

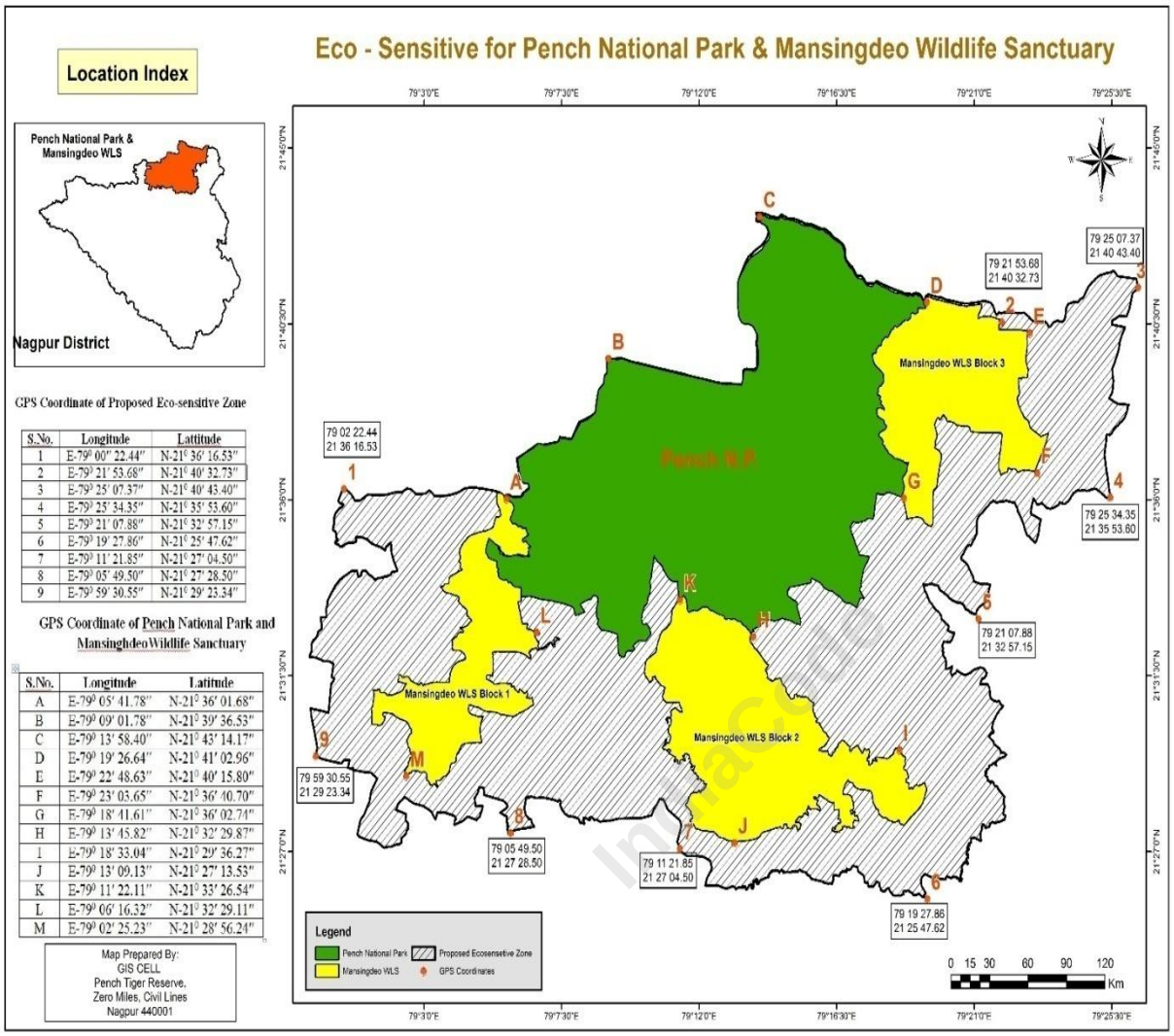
West: Outer boundary of Reserve Forests Compartment No. 634, 635, 637, 638, 639, 648, 650, 651, 652, 653, 700, 702, 704, 705 and 706.

Annexure-II

A. Map of Eco-sensitive Zone for Pench National Park and Mansinghdeo Wildlife Sanctuary



B. Map of Eco-sensitive Zone for Pench National Park and Mansinghdeo Wildlife Sanctuary



Annexure III-A

Geographical Positioning System Coordinate of Pench National Park and Mansinghdeo Wildlife Sanctuary

S.No.	Latitude	Longitude
A	N-21° 36′ 01.68″	E-79° 05′ 41.78″
B	N-21° 39′ 36.53″	E-79° 09′ 01.78″
C	N-21° 43′ 14.17″	E-79° 13′ 58.40″
D	N-21° 41′ 02.96″	E-79° 19′ 26.64″
E	N-21° 40′ 15.80″	E-79° 22′ 48.63″
F	N-21° 36′ 40.70″	E-79° 23′ 03.65″
G	N-21° 36′ 02.74″	E-79° 18′ 41.61″
H	N-21° 32′ 29.87″	E-79° 13′ 45.82″
I	N-21° 29′ 36.27″	E-79° 18′ 33.04″
J	N-21° 27′ 13.53″	E-79° 13′ 09.13″
K	N-21° 33′ 26.54″	E-79° 11′ 22.11″
L	N-21° 32′ 29.11″	E-79° 06′ 16.32″
M	N-21° 28′ 56.24″	E-79° 02′ 25.23″

Annexure III-B

Geographical Positioning System Coordinate of Proposed Eco sensitive Zone

S.No.	Latitude	Longitude
1	N-21° 36′ 16.53″	E-79° 00″ 22.44″
2	N-21° 29′ 23.34″	E-79° 59′ 30.55″
3	N-21° 27′ 28.50″	E-79° 05′ 49.50″
4	N-21° 27′ 04.50″	E-79° 11′ 21.85″
5	N-21° 25′ 47.62″	E-79° 19′ 27.86″
6	N-21° 32′ 57.15″	E-79° 21′ 07.88″
7	N-21° 35′ 53.60″	E-79° 25′ 34.35″
8	N-21° 40′ 43.40″	E-79° 25′ 07.37″
9	N-21° 40′ 32.73″	E-79° 21′ 53.68″

Annexure-IV

List of Villages along with latitudes and longitudes

Sr. No.	Tahsil	Name of Village	Village or Rithi	Latitude	Longitude
1	Ramtek	Usaripar	Village	N-21°37′ 32.762″	E-79° 20′ 27.590″
2		Khursapar	Village	N-21°40′ 26.902″	E-79°22′ 29.674″
3		Bandra	Village	N-21°37′ 57.453″	E-79°23′ 06.301″
4		Manegaon	Village	N-21° 41′ 03.397″	E-79° 25′ 00.047″
5		Garra	Village	N-21° 39′ 59.110″	E-79° 23′ 26.630″
6		Kadbikheda	Village	N-21° 36′ 49.975″	E-79° 20′ 27.490″
7		Sawara	Village	N-21° 37′ 12.353″	E-79° 21′ 26.863″
8		Kamathi	Village	N-21° 36′ 18.083″	E-79° 22′ 00.623″
9		Dongartal	Village	N-21° 35′ 44.933″	E-79° 21′ 00.890″
10		Zinzaria	Village	N-21° 35′ 26.327″	E-79° 20′ 15.771″
11		Khapa	Village	N-21° 35′ 43.672″	E-79° 18′ 16.513″
12		Sillari	Village	N-21° 34′ 41.265″	E-79° 17′ 59.439″
13		Pipariya	Village	N-21° 33′ 52.476″	E-79° 17′ 48.496″
14		Salai	Village	N-21° 32′ 54.494″	E-79° 17′ 37.536″
15		Chargaon (Pardesi)	Village	N-21° 32′ 03.889″	E-79° 19′ 31.262″
16		Hiwara (jungli)	Village	N-21° 32′ 06.583″	E-79° 18′ 06.913″
17		Maudi	Village	N-21° 31′ 32.506″	E-79° 19′ 34.241″
18		Navegaon	Village	N-21° 36′ 39.384″	E-79° 23′ 49.819″
19		Wadamba	Village	N-21° 36′ 10.613″	E-79° 23′ 20.253″
20	Ramtek	Mohgaon	Rithi	N-21° 33′ 37.479″	E-79° 15′ 38.692″
21		Ghoti	Village	N-21° 33′ 13.968″	E-79° 16′ 21.002″
22		Sahapur	Village	N-21° 31′ 52.088″	E-79° 17′ 19.456″
23		Dahoda	Village	N-21° 32′ 11.203″	E-79° 16′ 21.224″

IndiaCode

24		Tuyapar	Village	N-21° 32′ 19.598″	E-79° 14′ 41.638″
25		Jamuniya	Village	N-21° 32′ 49.616″	E-79° 15′ 41.656″
26		Patharai	Village	N-21° 31′ 16.182″	E-79° 18′ 10.874″
27		Ambazari	Village	N-21° 31′ 00.778″	E-79° 16′ 59.031″
28		Sarra	Rithi	N-21° 39′ 59.902″	E-79° 23′ 29.247”
29		Chorbahuli (Van)	Village	N-21° 27′ 55.516″	E-79° 18′ 48.803″
30		Chorbahuli (Mogra)	Rithi	N-21° 27′ 23.537″	E-79° 20′ 45.360″
31		Bhodewada	Village	N-21° 26′ 55.015″	E-79° 18′ 57.503″
32		Chorkhumari	Village	N-21° 27′ 08.44″	E-79° 19′ 58.031″
33		Dongari	Village	N-21° 26′ 34.699″	E-79° 20′ 22.333″
34		Sarakha	Village	N-21° 27′ 44.398″	E-79° 15′ 41.449″
35		Borda	Village	N-21° 26′ 43.479″	E-79° 16′ 21.968″
36		Khumari	Village	N-21° 27′ 04.252″	E-79° 17′ 45.975″
37		Chhatrapur	Village	N-21° 26′ 54.472″	E-79° 13′ 58.433″
38		Palli	Village	N-21° 26′ 50.806″	E-79° 12′ 02.769″
39	Parseoni	Kirangisarra	Village	N-21° 32′ 55.645″	E-79° 11′ 38.008″
40		Borban	Rithi	N-21° 28′ 19.261″	E-79° 14′ 04.344″
41		Deoli	Rithi	N-21° 28′ 52.047″	E-79° 11′ 53.986″
42		Bajarkund	Rithi	N-21° 29′ 15.773″	E-79° 11′ 08.485″
43		Kolitmara	Village	N-21° 33′ 30.881″	E-79° 10′ 57.453″
44		Kukda (Pench)	Village	N-21° 31′ 52.112″	E-79° 09′ 50.266″
45		Mahekpar	Village	N-21° 32′ 8.503″	E-79° 10′ 18.516″
46		Surera	Village	N-21° 32′ 44.174″	E-79° 10′ 39.161″
47		Banera	Village	N-21° 32′ 05.040″	E-79° 08′ 24.822″
48	Parseoni	Narhar	Village	N-21° 32′ 56.429″	E-79° 08′ 34.792″
49		Dhawalapur	Village	N-21° 33′ 05.071″	E-79° 06′ 57.122″
50		Sawangi	Village	N-21° 32′ 32.225″	E-79° 07′ 09.305″
51		Ghatkukda	Village	N-21° 36′ 00.751″	E-79° 04′ 58.177″
52		Ambazari	Village	N-21° 31′ 40.165″	E-79° 05′ 49.149″
53		Pathar	Rithi	N-21° 30′ 33.094″	E-79° 04′ 48.837″
54		Pardi	Village	N-21° 30′ 35.881″	E-79° 06′ 47.086″
55		Gargoti	Village	N-21° 31′ 22.996″	E-79° 06′ 05.19″
56		Saleghat	Village	N-21° 31′ 15.548″	E-79° 02′ 34.164″
57		Suwardhara	Village	N-21° 28′ 42.089″	E-79° 07′ 23.040″
58		Siladevi	Village	N-21° 30′ 22.259″	E-79° 08′ 00.614″
59		Chargaon	Village	N-21° 28′ 33.742″	E-79° 08′ 17.755″
60		Makardhokda	Village	N-21° 30′ 11.294″	E-79° 05′ 29.551″
61		Bhivgad	Sub Marge	N-21° 28′ 26.481″	E-79° 10′ 28.171″
62		Ghatpendri	Village	N-21° 38′ 56.891″	E-79° 09′ 14.091″
63	Saoner	Surewani	Village	N-21° 29′ 31.226″	E-79° 07′ 39.384″

Indiacode

Annexure-V

Proforma of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee-

1. Number and date of meetings.

2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.

3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Eco-tourism Master Plan.

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]

6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]

7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/205/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.09.14 15:37:12 +05'30'